**समाचार**

**सड़कों पर रेत, कोल डस्ट, मिट्टी आदि गिराने पर होगी वैधानिक कार्यवाही**

**(शहर की सड़कों पर होता है धूल, मिट्टी का जमाव, पर्यावरण पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव, आमजन को होती है अनावश्यक परेशानी)**

कोरबा 01 दिसम्बर 2018 -परिवहन के दौरान शहर की सड़कों पर रेत, कोल डस्ट एवं मिट्टी आदि गिराने, बिखेरने पर संबंधित परिवहनकर्ता के विरूद्ध जुर्माना एवं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, इन परिवहनकर्ताओं से कहा गया है कि वे रेत, कोयला, मिट्टी आदि का परिवहन सुरक्षित रूप से करें तथा जुर्माना व अन्य वैधानिक कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचे।

यहां उल्लेखनीय है कि शहर की सड़कों पर प्रतिदिन काफी मात्रा में रेत, कोयला, मिट्टी आदि का परिवहन विभिन्न वाहनों के माध्यम से किया जाता है, प्रायः देखने में आता है कि इन सामग्रियों के परिवहन केदौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों व आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किए बिना ही इनका परिवहन किया जाता है, परिणाम स्वरूप परिवहन के दौरान वाहनों से रेत, कोल डस्ट एवं मिट्टी आदि सड़कों पर गिरती है, इससे एक ओर जहां शहर की सड़कों पर रेत, धूल आदि का जमाव होता है एवं पर्यावरण व साफ-सफाई व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इन वाहनों के पीछे चलने वाले आमनागरिकों को भी बेहद असुविधा का सामना करना पड़ता है। निगम में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी डाॅ.संजय तिवारी ने बताया कि परिवहन के दौरान सड़कों पर रेत, कोल डस्ट व मिट्टी आदि को गिराकर सड़कों को गंदा करने एवं साफ-सफाई व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे परिवहनकर्ताओं पर जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही निगम द्वारा की जाएगी।

**पालतू जानवर, मवेशी आदि के अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित करें-** निगम द्वारा निगम क्षेत्र के मवेशी पालकांें एंव श्वान बिल्ली आदि जानवरों को पालने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे अपने पालतू जानवरों को घर पर ही सुरक्षित रूप से रखें एवं ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे उनके पालतू जानवर सड़कों पर मलमूत्र का त्याग न कर सके, उनके मलमूत्र अपशिष्ट का निपटान घर पर ही सुनिश्चित कराएं। इससे एक ओर जहां आमजन को असुविधा होती है, साफ-सफाई व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है, वहीं दूसरी ओर मवेशियों के सड़कों पर स्वच्छंद विचरण से आवागमन बाधित होता है, दुर्घटना आदि की संभावना बनी  रहती है। डाॅ.संजय तिवारी ने बताया कि इस दिशा में निगम द्वारा वैधानिक व जुर्माने आदि की कार्यवाही भी की जा सकती है, उन्होने कहा कि प्रायः देखने में आता है कि श्वान, बिल्ली आदि जानवरों के पालक सुबह-शाम अपने पालतू जानवरों को सड़कों पर भ्रमण हेतु लाते हैं एवं सड़क पर ही उनका मलमूत्र त्याग करने हेतु उन्हें खड़ा कर देते हैं, निश्चित रूप से यह स्थिति अफसोसजनक है, ऐसे पालकों से अपील की गई है कि वे अपने पालतू जानवरों के मलमूत्र का त्याग सुरक्षित रूप से कराएं तथा घर पर ही इस के निपटान की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि आमनागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशानी न हों और साथ ही सड़कों की साफ-सफाई भी सुनिश्चित रहे।